न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव
आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 50/2020

1. मालीराम पुत्र छीतर
2. बजरंगलाल पुत्र छीतर
3. गजानन्द पुत्र छीतर
4. पतासी बेवा छीतर

समस्त जाति खाती निवासी मनोहरपुर उप तहसील मनोहरपुर तहसील शाहपुरा (राज.)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर
2. उप तहसीलदार मनोहरपुर जिला जयपुर
3. सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर

अपील विरूद्व तस्दीक तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2405 निर्णय दिनांक 06/11/2009 एवं नामान्तरकरण संख्या 2835 निर्णय दिनांक 05/8/2014 को अपास्त किये जाने बाबत।

निर्णय दिनांक 9.10.2020

अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2405 तस्दीक द्वारा तहसीलदार मनोहरपुर निर्णय दिनांक 06/11/2009 एवं नामान्तरकरण संख्या 2835 दिनांक 05/8/2014 वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर अपील पेश की गयी है, जिसके बिन्दुवार तथ्य निम्नभांति पेश किये हैं :–

1. यह है कि अपीलान्टस् वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के आराजी ख.नं. 1430/2 रकबा 0.12 हैक्टर के खातेदार काश्तकार काबिज मालिक है।
2. यह है कि उपरोक्त भूमि समक्ष प्राधिकारी एवं अवाप्ति अधिकारी जिला कलक्टर कोटपूतली के 3ए नोटिफिकेशन होने के उपरान्त बिना अवार्ड एवं बिना मुआवजा जारी किये ही तहसीलदार शाहपुरा द्वारा आराजी खनं. 1430/2 का नामान्तरकरण 2405 निर्णय दिनांक 06/11/2009 एवं नामा.सं. 2835 निर्णय दिनांक 05/8/2014 के द्वारा अपीलान्ट का रकबा 0.12 हैक्टर में से कम करके 0.0125 हैक्टर व 0.0451 हैक्टर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हक में नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो शुरू से ही शून्य/अवैध है।
3. यह है कि आक्षेपित नामान्तरकरण महज 3ए के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया जाना तथा तहसीलदार शाहपुरा द्वारा बिना पक्षकार को सुनवायी किये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया, जो अपीलान्ट के वैध अधिकारों से वंचित कर दिया। यदि किसी भूमि को राजकार्य हेतु अवाप्त की जाती है तो सर्वप्रथम लोक सूचना जारी होती है उसके बाद 3ए, 3डी व 3जी (अवार्ड) पारित किया जाता है। ये सभी प्रकिया होने के पश्चात् ही उपरोक्त भूमि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश से तहसीलदार द्वारा प्रयोजनार्थ उपयोगकर्त्ता के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाता है, जबकि उपरोक्त प्रकरण में बिना अवार्ड पारित किये ही तहसीलदार शाहपुरा द्वारा 3ए के आधार पर ही NHAI के हक में नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो चलने योग्य नहीं है।
4. यह है कि अपीलान्ट द्वारा नकल जमाबंदी ख.नं. 1430/2 की लेने पर रकबा कम होने की जानकारी बाबत नकल नामान्तरकरण की प्राप्त कर प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष आवेदन किया कि आ.ख.नं. 1430/2 का कोई

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

रकबा NHAI अवाप्ति में नहीं गया है। अपीलान्ट ख.नं. 1430/2 रकबा 0.12 हैक्टर पर काबिज काश्त है। उक्त खसरा नम्बर भूमि अवाप्ताधीन रकबा से अधिक दूर है। इस सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति प्राधिकारी अति. जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा उप तहसीलदार मनोहरपुर से मौके की जांच रिपोर्ट मंगवाई जिस पर उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक (भू.अ.) 2020/377 दिनांक 27/8/2020 को उक्त खसरा नम्बर एन.एच 08 के 06 लेन में अवाप्ताधीन नहीं होना तथा जो नामान्तरकरण दर्ज किया है वह बिना अवार्ड एवं बिना आदेश के दर्ज हुआ है, जो उक्त नामा. काबिले खारिज है।

5. यह है कि प्रार्थी को आक्षेपित नामान्तरकरण की प्रथम बार जानकारी अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जमाबंदी लेने से हुयी । जानकारी से मौके पर रकबा कम मिला जिसके आधार पर अपीलान्ट द्वारा नकल नामान्तरकरण की प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद पेश की है।

6. यह है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की सुनवायी करना श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। अतः अपील निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश कर निवेदन है कि नामा.सं 2405 निर्णय दिनांक 06/11/2009 व नामान्तरकरण संख्या 2835 निर्णय दिनांक 05/8/2014 बाबत ख.नं. 1430/2 रकबा 0.12 हैक्टर वाके ग्राम मनोहरपुर तहसीलदार शाहपुरा पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर बिना अवार्ड एवं बिना मुआवजा दिये ही बिना मौके की जांच किये बिना किसी आदेश के तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नामा.सं. 2405 दिनांक 06/11/2009 एवं नामा.सं. 2835 निर्णय दिनांक 05/8/2014 को खारिज कर अपीलान्ट के हक में पूर्व की भांति ख.नं. 1430/2 रकबा 0.12 हैक्टर से बने नये ख.नं. 1430/10 हटाया (डिलीट) किया जाकर ख.नं. 1430/2 रकबा कम होकर 0.0624 रह गया, जिसको बढाकर रकबा 0.1075 हैक्टर पर होना चाहिए एवं खसरा नम्बर 1430/5 रकबा 0.0125 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने हेतु उप तहसीलदार मनोहरपुर को आदेश फरमावें।

7. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर की गयी रेस्पोडेन्ट की तल्बी सम्मन नोटिस जारी किये गये। बाद तामील सम्मन नोटिस लौट कर प्रस्तुत होने पर संलग्न पत्रावली किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये इसलिए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

8. वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी ख.नं. 1430/2 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम मनोहरपुर में अपीलान्ट की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नामा.सं. 2405 दिनांक 06/11/2009 तथा नायब तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा नामा.सं.2835 दिनांक 05/8/2014 को उक्त नामान्तरकरण दस्दीक कर अपीलान्ट की भूमि का रकबा 0.12 है0 में से कम करके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हक में नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो शुरू से ही शून्य एवं अवैध है यदि किसी भूमि को राजकार्य हेतु अवाप्त की जाती है तो सर्वप्रथम लोक सूचना जारी होती है उसके बाद 3ए, 3डी व 3जी (अवार्ड) पारित किया जाता है। यह सभी प्रकिया होने के उपरान्त ही अवाप्ताधीन भूमि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश से ही तहसीलदार द्वारा प्रयोजनार्थ उपयोगकर्त्ता के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जाता है, जबकि उक्त भूमि से सम्बन्धित बिना अवार्ड पारित किये ही NHAI के हक में उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किये है। इस प्रकार नामान्तरकरण की कार्यवाही हुयी है वह सरासर गलत एवं विधि के विपरीत हुयी है, जबकि अपीलान्ट की भूमि ख.नं. 1430/2 अवाप्तिधीन रकबा से अधिक दूरी पर है। इसके बावजूद भी बिना जांच किये तथा बिना वस्तुस्थिति की जानकारी के उक्त नामान्तरकरण NHAI के नाम दर्ज किये है।

अपीलान्ट को उक्त भूमि ख.नं. 1430/2 रकबा 0.12 हैक्टर में से भूमि कम होने की जानकारी प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटपूतली के यहां प्रार्थना–पत्र पेश कर इस बाबत जानकारी चाही गयी के सम्बन्ध में जांच भूमि अवाप्ति अधिकारी अति. कलक्टर कोटपूतली द्वारा करायी जाने पर उप तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा अपने आदेश कमांक/भू.अ./20/377 दिनांक 27/8/2020 को उक्त आराजी ख.नं. NH 08 के 06 लेन में अवाप्ताधीन नहीं होना तथा इस भूमि से सम्बन्धित जो नामान्तरकरण दर्ज किये है वह बिना अवार्ड एवं बिना आदेश के दर्ज हुआ है, जो नामान्तरकरण खारिज किया जाना उचित है। उक्त जांच रिपोर्ट प्रेषित की है। इसलिए नामान्तरकरण संख्या 2405 निर्णय दिनांक 06/11/2009 व नामा.सं. 2835 निर्णय दिनांक 5/8/2014 बाबत ख.नं. 1430/2 रकबा 0.12 हे. वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा को खारिज फरमावें तथा अपीलान्ट के

अति. जिला कलक्टर (जयपुर) कोटपूतली

भूमि का रकबा पूर्व की भांति 0.12 है. राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने के आदेश प्रदान कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमावें।

9. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार आ.ख.नं. 1430/2 बाबत उनके पत्र क्रमांक भू0अ0/2020/377 दिनांक 27/8/2020 के द्वारा उक्त खसरा नम्बर एन.एच 08 के 06 लेन में अवाप्ताधीन नहीं होना तथा जो नामान्तरकरण दर्ज हुए है वह बिना अवार्ड एवं बिना आदेश के दर्ज हुए है, जो खारिज किया जाना उचित है कि अपनी जांच रिपोर्ट मे वर्णित किया है।

10. वकील अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं जांच रिपोर्ट , साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने एवं प्रस्तुत की गयी। बहस पर मनन किया गया तो पाया कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 वाके ग्राम मनोहरपुर के आ.ख.नं. 1430/2 अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 0.0624 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट की भूमि ख.नं. 1430/2 वाके ग्राम मनोहरपुर बाबत तहसीलदार शाहपुरा व नायब तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा नामान्तरकरण बिना अवार्ड पारित किये तथा बिना सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के नामान्तरकरण संख्या 2405 दिनांक 06/11/2009 तथा 2835 दिनांक 05/8/2014 के द्वारा नामान्तरकरण एन.एच 08 के हक में भरा जाकर अपीलान्टस की भूमि का रकबा कम कर दिया जबकि उक्त खसरा नम्बर 1430/2 अवाप्ताधीन रकबा से अधिक दूरी पर है। नायब तहसीलदार मनोहरपुर की जांच रिपोर्ट से भी वर्णित है कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि एन.एच 08 के 06 लेन में अवाप्ताधीन नहीं हुयी है, जो नामान्तरकरण दर्ज हुए है वह बिना अवार्ड एवं बिना आदेश के दर्ज हुए है, जो शुरू से ही शून्य एवं बेअसर है। इस प्रकार गलत तरिके से एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश से उक्त नामान्तरकरण तस्दीक हुए है उन्हे खारिज फरमावें तथा अपीलान्ट की भूमि का रकबा पूर्व की भांति 0.12 हैक्टर का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का आदेश प्रदान करें।

चूँकि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2074–2077 वाके ग्राम मनोहरपुर के आ.ख.नं. 1430/2 अपीलान्टस् के नाम 0.0624 है0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा आ.ख.नं. 1430/2 बाबत नामान्तरकरण संख्या 2405 दिनांक 06/11/2009 तथा नायब तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2835 दिनांक 05/8/2014 के द्वारा भरा जाकर क्रमशः 0.0125 व 0.0451 है0 भूमि का एन.एच 08 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होकर तस्दीक किया गया होना पाया जाता है, जो बिना आदेश व सूचना के उक्त नामान्तरकरण भरा गया है। प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से भूमि का रकबा कम होने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश होने पर आ.ख.नं. 1430/2 बाबत उनके उप तहसीलदार मनोहरपुर का पत्र क्रमांक/भू.अ./2020/377 दिनांक 27/8/2020 के द्वारा उक्त ख.नं. एन.एच 08 के 06 लेन में अवाप्ताधीन नहीं होना तथा जो नामान्तरकरण दर्ज हुए हैव वह बिना अवार्ड एवं बिना आदेश के दर्ज हुए है, जिन्हे खारिज किया जाना उचित बताया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भी किसी प्रकार का नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिती में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 2405 व 2835 खारिज किया जाना उचित एव न्याय संगत है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की अपील स्वीकार की जाती है तथा आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 2405 स्वीकृत दिनांक 06/11/2009 एवं नामान्तरकरण संख्या 2835 दिनांक 05/8/2014 वाके मौजा मनोहरपुर तहसील शाहपुरा को खारिज कर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्टस की भूमि ख.नं. 1430/2 का रकबा का अंकन उक्त नामान्तरकरणों के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 में दर्ज हुआ है उसे हटाया जाकर पूर्व की भांति उक्त खसरा नम्बर का रकबा 0.12 है0 राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। तद्नुसार पालना हों।

12. निर्णय आज दिनांक 9.10.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)